लेटर्स पेटेंट अपील

प्रेम चंद पंडित न्यायमूर्ती और गोपाल सिंह न्यायमूर्ती के समक्ष

सोहन लाल आदि—अपीलकर्ता।

बनाम

केंद्र सरकार आदि - *उत्तरदाता।*

1971 के लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 63 और 1971 के सिविल मिस्क नंबर 1209

14 अक्टूबर, 1971

विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम (1954 का एक्सएलवी) - धारा **25, 26, 33** *और* ***40*** - नागरिक प्रक्रिया संहिता (***1908*** का *अधिनियम* संख्या **5**) - *धारा* **148** *और* ***151*** - शहरी कृषि भूमि के *निपटान के लिए नियम तैयार नहीं किए गए हैं - प्रेस नोट के आधार पर ऐसी भूमि की नीलामी - क्या इसका कोई कानूनी प्रभाव है - विस्थापित संपत्ति की नीलामी अलग रखी गई है और संपत्ति पुन: नीलामी- बाद में नीलामी क्रेताओं द्वारा* बोली का ***20*** प्रतिशत जमा करना - पिछली नीलामी क्रेता द्वारा पिछली नीलामी की बहाली के लिए धारा **33** के तहत पुनरीक्षण याचिका दायर करना - बाद में नीलामी क्रेता- क्या इच्छुक पक्षकारों को पुनरीक्षण याचिका में सुना जाना चाहिए - धारा **33** के तहत केंद्र सरकार का आदेश- *क्या समीक्षा की जा सकती है - ऐसे आदेश में धन जमा करने के लिए निर्धारित समय - क्या* सिविल प्रक्रिया संहिता की *धारा* ***148*** या ***151*** *के तहत बढ़ाया जा सकता है।*

और रूप यह कि किसी क़ानून के तहत नियम बनाए बिना केंद्र सरकार द्वारा जारी पे्रस-नोट्स के आधार पर विस्थापित शहरी कृषि भूमि की नीलामी का कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। **(पैरा 5)**

यह माना जाता है कि जहां विस्थापित संपत्ति की नीलामी बिक्री को अलग रखा जाता है और संपत्ति को फिर से नीलाम किया जाता है, यह सच है कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले होने और बोली राशि का **20** प्रतिशत जमा करने के आधार पर, बाद में नीलामी खरीदार संपत्ति के हस्तांतरणकर्ता नहीं बन जाते हैं, लेकिन कानून के तहत यह आवश्यक नहीं है कि वे संपत्ति के मालिक होने चाहिए और उसके बाद ही उन्हें अदालत में सुना जाएगा। विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, **1954** की धारा **33** के तहत संशोधन याचिका, पिछले नीलामी खरीदार द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उसके पक्ष में पिछली नीलामी की बहाली के लिए प्रार्थना की गई थी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत बाद की नीलामी खरीदारों के पक्ष में आकर्षित होते हैं क्योंकि वे वास्तव में विवाद में संपत्ति में रुचि रखते हैं। यदि पिछले नीलामी खरीदार के पक्ष में नीलामी को मंजूरी और पुष्टि की जाती है, तो वे प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि ऐसा करने से, उनके पक्ष में नीलामी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वे संपत्ति प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। इसलिए पूरी निष्पक्षता के साथ, बाद में

यदि सरकार नीलामी को अपने पक्ष में बहाल करने के लिए पिछले नीलामी क्रेता के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है, तो नीलामी क्रेताओं को अधिनियम की धारा **33** के तहत संशोधन में केंद्र सरकार द्वारा सुना जाना चाहिए।

यह माना गया कि अधिनियम की धारा **33** के तहत कार्यवाही अर्ध-न्यायिक प्रकृति की है और उस धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी अपने आदेशों की समीक्षा नहीं कर सकते हैं, जब तक कि ऐसा करने की शक्ति उन्हें क़ानून द्वारा ही नहीं दी जाती है। समीक्षा की कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है और यह शक्ति विशेष रूप से उस क़ानून द्वारा दी जानी चाहिए जिसके तहत वे कार्य कर रहे हैं। अधिनियम की धारा **25** के तहत, यह केवल निपटान अधिकारी है, जिसे समीक्षा की शक्ति दी गई है और वह भी अधिनियम की धारा **5** के तहत एक आदेश में। इस धारा की उप-धारा **(1)** के तहत किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रदान नहीं की गई है। उपधारा **(2)** के तहत, हालांकि, किसी भी आकस्मिक पर्ची या चूक से मौजूद लिपिकीय या अंकगणितीय गलती या त्रुटियों को ठीक करने की शक्ति अधिनियम के तहत सभी अधिकारियों और अधिकारियों को दी गई है। इस प्रकार, केंद्र सरकार को समीक्षा की कोई शक्ति नहीं सौंपी गई है और केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले अधिकारी को अपने पहले के आदेश की समीक्षा करने का कोई

अधिकार क्षेत्र नहीं है। (पैरा 15 और 16)

अधिनियम की धारा 26 को पढ़ने से पता चलता है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 148 को अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं किया गया है। इसलिए, केन्द्र सरकार अधिनियम की धारा 33 के अधीन किसी आदेश में निर्धारित समय निर्धारित नहीं कर सकती है। संहिता की धारा 151 के तहत इस तरह के समय को बढ़ाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यह धारा केवल न्यायालयों की अंतर्निहित शक्ति से संबंधित है और अधिनियम के तहत कार्य करने वाले अधिकारी न्यायालय नहीं हैं, क्योंकि वे कानून के प्रावधानों से अपना अधिकार प्राप्त करते हैं जिसके तहत वे कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, धारा 151 स्वयं किसी को कोई शक्ति नहीं देती है। इस धारा के तहत उल्लिखित शक्ति स्वयं एक न्यायालय में निहित है और इस धारा में जो कुछ भी कहा गया है वह यह है कि संहिता में कुछ भी ऐसे आदेश पारित करने की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने के लिए नहीं माना जाएगा जो वह न्याय के हित में या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक समझे। इस प्रकार की शक्ति किसी अधिकरण या किसी विशेष संविधि के उपबंधों के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी में नहीं है। कोई अधिकारी जो भी शक्ति प्रयोग करना चाहता है, वह उसे कानून द्वारा ही दी जानी चाहिए। (पैरा 19 और 21)

माननीय न्यायमूर्ति डी एस तेवतिया के निर्णय के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खण्ड X के अंतर्गत लेटर्स पेटेंट अपील *सिविल रिट सं 2008-09 में पारित की गई थी / 15 दिसंबर,* 1970 को *1970* का *621* ।

जे. एन. कौशल, एडवोकेट अशोक भान, एडवोकेट, *अपीलकर्ताओं के लिए।*

बी. एस. बिंद्रा, एडवोकेट (केवल 14 और 15 सितंबर को) और सरजीत सिंह, एडवोकेट, प्रतिवादी *नंबर 1 के लिए।* 2.

निर्णय

पंडित, न्यायमूर्थी - इस मामले में विवाद शहरी कृषि भूमि 4 कनाइस 5 मरला क्षेत्र से संबंधित है, जो जुलुंदूर शहर में स्थित प्लॉट नंबर 168 में शामिल है। इस पर सोहन लाल और सुंदर लाल का कब्जा था, लेकिन सुरिंदर सिंह के अनुसार, वे उक्त भूमि के न तो आवंटी थे और न ही पट्टेदार थे। 24 अगस्त, 1959 को पुनर्वास अधिकारियों द्वारा इस संपत्ति को नीलामी के लिए रखा गया और सुरिंदर सिंह को यह 20,500 रुपये में मिला। नीलामी के समय उनके द्वारा इस राशि का पांचवां हिस्सा जमा किया गया था, लेकिन चूंकि उन्होंने शेष राशि का भुगतान नहीं किया, इसलिए प्रबंध अधिकारी द्वारा उस खाते पर उनके पक्ष में बिक्री रद्द कर दी गई। हालांकि, प्रबंध अधिकारी के इस आदेश को बाद में 30 मार्च, 1968 को मुख्य निपटान आयुक्त श्री के एल वासन द्वारा उलट दिया गया था, जिनके समक्ष सुरिंदर सिंह द्वारा पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी। मुख्य निपटान आयुक्त ने उन्हें 30 मई, 1968 तक नीलामी मूल्य की शेष राशि जमा करने की अनुमति दी। वह फिर से समय के भीतर इस राशि का भुगतान करने में विफल रहे और यह कहा जाता है कि मुख्य निपटान आयुक्त ने उन्हें 30 अगस्त, 1968 तक ऐसा करने के लिए और समय दिया। चूंकि सुरिंदर सिंह ने उस तारीख तक भी जमा राशि जमा नहीं की थी, इसलिए निपटान अधिकारी ने 2 अक्टूबर, 1968 को 24 अगस्त, 1959 को आयोजित नीलामी बिक्री को रद्द कर दिया। इस संपत्ति को 17 जनवरी, 1969 को फिर से नीलामी के लिए रखा गया था। सोहन लाल और सुंदर लाल ने तब सबसे अधिक 27,025.20 रुपये की बोली लगाई थी, जिसमें से यह राशि नीलामी के समय जमा की गई थी और शेष राशि का भुगतान बाद में करना पड़ा था। इस बीच, सुरिंदर सिंह ने निपटान अधिकारी द्वारा 2 अक्टूबर, 1968 को पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसमें उनके पक्ष में नीलामी बिक्री को रद्द कर दिया गया था, सहायक निपटान आयुक्त के पास निपटान आयुक्त की शक्तियां थीं। उक्त अधिकारी ने 2 अप्रैल, 1969 को अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद सुरिंदर सिंह ने मुख्य निपटान आयुक्त के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की और 13 अगस्त, 1969 को उन्होंने इसे खारिज कर दिया। विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 33 के तहत एक याचिका, जिसे बाद में अधिनियम कहा जाता है, सुरिंदर सिंह द्वारा केंद्र सरकार के समक्ष की गई थी और इसे श्री रजनी कांत द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, जिन्हें अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की शक्तियां सौंपी गई थीं, और उन्होंने नीलामी मूल्य की शेष राशि जमा करने के लिए 15 दिनों का समय दिया था। अपने आदेश के अंतिम भाग में, श्री रजनी कांत ने कहा:

> पीठ ने कहा, "इसलिए मैं याचिका को स्वीकार करता हूं, आदेश को निरस्त करता हूं और याचिकाकर्ता को बिक्री की शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश देता हूं।

आज से 15 दिनों के भीतर उक्त संपत्ति पर नकद में विचार करें, ऐसा नहीं करने पर याचिका खारिज कर दी जाएगी।

(दो) यह आम आधार है कि सुरिंदर सिंह ने श्री रजनी कांत द्वारा अनुमत समय के भीतर राशि जमा नहीं की। यह कहा जाता है कि इस अवधि को 28 फरवरी, 1970 तक बढ़ा दिया गया था, जिस तारीख को सुरिंदर सिंह द्वारा राशि का भुगतान किया गया था। इसके बाद, मार्च, 1970 में, सोहन लाई और सुरिंदर लाई ने श्री रजनी कांत द्वारा पारित 6 फरवरी, 1970 के आदेश को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत एक रिट याचिका दायर की। इस याचिका को दिसंबर, 1970 में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था और वर्तमान लेटर पेटेंट अपील को उस आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया है।

(तीन) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया पहला तर्क यह था कि सुरिंदर सिंह के पक्ष में नीलामी बिक्री 24 अगस्त, 1959 को आयोजित की गई थी, जब शहरी क्षेत्रों में स्थित खाली कृषि भूमि के निपटान के लिए नियम तैयार नहीं किए गए थे और उक्त बिक्री केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रेस-नोट्स के तहत आयोजित की गई थी। इसलिए, बिक्री शुरू से ही शून्य थी। वकील के अनुसार, सुरिंदर सिंह को उक्त बिक्री के आधार पर संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिला और परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार या वास्तव में, पुनर्वास विभाग का कोई भी अधिकारी उनके पक्ष में नीलामी बिक्री की पुष्टि नहीं कर सका और इस तरह उन्हें संपत्ति का मालिक बना दिया। रिलायंस एफसीआर की यह दलील बिशन सिंह बनाम अदालत के इस मामले की पीठ के फैसले पर रखी गई थी । *केंद्र सरकार और अन्य* (1)। वकील ने तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त मामले में निर्णय को गलत तरीके से प्रभावित नहीं किया था, यह देखते हुए कि इस न्यायालय के बाद की पीठ के फैसले में सोना राम *और अन्य बनाम सोना राम के* रूप में रिपोर्ट की गई थी। *केन्द्र सरकार और अन्य* (2) ने कहा था कि शहरी क्षेत्रों में स्थित विस्थापित कृषि भूमि के निपटान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियम लागू किए जाने से पहले की गई नीलामी बिक्री *प्रारंभ से ही* अमान्य नहीं थी, लेकिन यह एक ऐसे पक्ष के कहने पर अमान्य थी, जो उक्त नियमों के अध्याय 5-क के तहत आरक्षित मूल्य पर इसे खरीदने का हकदार था।

(चार) हमने विद्वान वकील द्वारा संदर्भित दोनों निर्णयों का अध्ययन किया है और हमारी राय है कि इसमें दम है।

(एक) 1961 पी.एल.आर.
(दो) 1963 पी.एल.आर.

मैं

मत। में *बिशन सिंह का मामला* (1), जिसमें मैं एक पक्ष था, यह आयोजित किया गया था: -

"शहरी कृषि भूमि के धारक विस्थापित व्यक्तियों का एक अलग वर्ग बनाते हैं, और इसलिए, सरकार के लिए इस वर्ग के लिए नियम बनाना आवश्यक था। अधिनियम और नियमों, दोनों में मौजूदा प्रावधान विस्थापित व्यक्तियों के इस वर्ग को कवर नहीं करते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिनांक 4 जून, 1957 और 15 अक्तूबर, 1958 के पेरस नोट और मुख्य बंदोबस्त आयुक्त द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 1958 को जारी ज्ञापन वैध नहीं हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है और केन्द्र सरकार प्रासंगिक नियम बनाए बिना विस्थापित शहरी कृषि भूमि को नहीं बेच सकती है।

इस फैसले में, यह आगे कहा गया था:

उन्होंने कहा, 'इसलिए मेरी राय है कि विवादित प्रेस-नोट और ज्ञापन वैध नहीं हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है और केंद्र सरकार प्रासंगिक नियम बनाए बिना विस्थापित शहरी कृषि भूमि को नहीं बेच सकती है.

.1 इन याचिकाओं को अनुमति देगा और रोक लगाएगा
प्रेस नोट और ज्ञापन के आधार पर की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई का कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, क्योंकि उनके पास कानून का बल नहीं है।

(पाँच) उपर्युक्त उद्धरण से, यह स्पष्ट होगा कि नियम बनाए बिना केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रेस नोटों के आधार पर विस्थापित शहरी कृषि भूमि की नीलामी बिक्री का कोई कानूनी प्रभाव नहीं था। केंद्र सरकार द्वारा संबंधित नियम बनाए जाने से पहले सुरिंदर सिंह के पक्ष में नीलामी बिक्री प्रेस नोटों के आधार पर की गई थी। *बिशन सिंह के मामले* (1) में निर्धारित कानून के अनुसार , उक्त बिक्री का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा।

(छः) अब सवाल यह है कि क्या *सोना राम के मामले (2) में बाद की पीठ के फैसले ने* बिशन सिंह के मामले में निर्धारित कानून में किसी भी तरह से बदलाव *किया है।* मैं बाद के शासन में भी एक पक्ष था। वहां बेंच को केवल धारा 151 के तहत दायर एक आवेदन के माध्यम से बिशन नारायण जे द्वारा पारित एक आदेश को स्पष्ट करने के लिए बुलाया गया था।

और पीड़ित पक्ष द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 152। यह इसलिए है क्योंकि बिशन नारायण, जे, उक्त आवेदन किए जाने के समय सेवानिवृत्त हो गए थे, इसलिए मामले को एक खंडपीठ के समक्ष रखा गया था। हम उस समय केवल विद्वान न्यायाधीश की मंशा का पता लगाने का प्रयास कर रहे थे, जब उन्होंने विचाराधीन आदेश दिया था, जिसके द्वारा उन्होंने आवेदकों द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया था और केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रेस-नोट्स और मुख्य निपटान आयुक्त द्वारा जारी ज्ञापन (परिपत्र) को रद्द कर दिया था, हालांकि रिट याचिका में आवेदकों ने *प्रमाण पत्र* की रिट के लिए प्रार्थना की थी। विरोधी पक्ष के पक्ष में लगाए गए प्रेस-नोट्स और परिपत्र के तहत आयोजित नीलामी को रद्द करना। चूंकि जिला किराया और प्रबंध अधिकारी ने बीशान नारायण जे के फैसले के बाद भी, तहसीलदार को नीलामी खरीदार को विवादित भूमि का कब्जा देने का निर्देश दिया, इसलिए आवेदकों ने इस न्यायालय में नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 151 और 152 के तहत उक्त आवेदन दायर किया, क्योंकि, उनके अनुसार, जैसा कि उनकी रिट याचिका स्वीकार कर ली गई थी, उसी नीलामी बिक्री को स्वचालित रूप से रद्द कर दिया गया था, जिसे लागू किए गए प्रेस-नोट्स और परिपत्र के आधार पर आयोजित किया गया था, जिसे बिशन नारायण, जे. ने खारिज कर दिया था। इस मामले को एस. बी. कपूर, जे. और मेरे समक्ष रखा गया था और हमारे समक्ष बहस के दौरान, दोनों पक्षों द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई थी कि आवेदकों को विवाद में संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा, यदि वे उसी के पट्टेदार थे। इस आधार पर उनके दावे का नीलामी खरीदार द्वारा विरोध किया जा रहा था। बिशन नारायण, जे. ने अपने आदेश में उल्लेख किया था कि वह इस सवाल पर फैसला नहीं कर रहे हैं कि आवेदक संपत्ति के पट्टेदार थे या नहीं और क्या वे उस खाते पर संपत्ति के हस्तांतरण के हकदार थे और इस मामले को अन्य कार्यवाही में निर्धारित करने के लिए खुला छोड़ दिया गया था। हमारे फैसले के दौरान, यह देखा गया था:

> उन्होंने कहा, 'बिशन नारायण ने जो फैसला किया वह यह था कि प्रेस नोट और परिपत्र अमान्य हैं। दूसरे शब्दों में, यदि विभाग आवेदकों को भूमि हस्तांतरित करने से इनकार कर रहा था क्योंकि उनमें कुछ प्रतिबंध निहित थे, तो ऐसा करना उचित नहीं था। विचार लगता है। यदि विभाग ने पाया कि आवेदक संपत्ति के पट्टेदार थे, तो उन्हें इसके हस्तांतरण के लिए अधिकृत किया गया था और नीलामी को रद्द कर दिया जाएगा। दूसरी ओर, यदि वे इस तथ्य को स्थापित करने में विफल रहे, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी और नीलामी बिक्री अप्रभावित रहेगी। यह शायद उसी उद्देश्य के साथ था कि क्या आवेदक पट्टेदार थे
>
> रिट याचिका में संपत्ति का निर्धारण नहीं किया जा रहा था कि विद्वान न्यायाधीश ने नीलामी बिक्री को रद्द

नहीं किया। विभाग अब ऊपर उल्लिखित टिप्पणियों के अनुसार मामले का फैसला करेगा।

(सात) यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि बिशन नारायण, जे. नारायण, जे. द्वारा पारित आदेश के स्पष्टीकरण के अलावा खंडपीठ के समक्ष कोई विवाद नहीं था। बिशन सिंह के मामले में पहले पीठ के फैसले की शुद्धता को कभी चुनौती नहीं दी गई। यह भी उल्लेखनीय है कि भले ही कपूर। जे. और मैं पिछली पीठ के फैसले को परेशान करना चाहते थे, हम ऐसा नहीं करते और हमें मामले को एक बड़ी पीठ को भेजना पड़ा। प्रतिवादी नंबर 2 सुरिंदर सिंह के वकील द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि *बिशन सिंह के मामले में,* यह दृढ़ता से तय किया गया था कि प्रेस-नोट्स और ज्ञापन के आधार पर पुनर्वास अधिकारियों द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई का कोई कानूनी प्रभाव नहीं था और यह शून्य था। ऐसा होने पर, नीलामी की बिक्री प्रतिवादी संख्या 10के पक्ष में हुई। *2,* जो निश्चित रूप से उन विवादित प्रेस-नोट्स के आधार पर आयोजित किया गया था और ज्ञापन शून्य था। अगर कपूर, जे और मेरा मानना था कि *बिशन सिंह* के मामले में सही फैसला नहीं किया गया था और इस तरह की नीलामी बिक्री शून्य नहीं थी, तो हम मामले को पूर्ण पीठ के पास भेज देते। पूरे फैसले के दौरान, हमने कहीं भी यह नहीं कहा है कि इस तरह की नीलामी बिक्री शून्य नहीं होगी, बल्कि शून्य होगी। वास्तव में, उक्त निर्णय में 'शून्य' शब्द का भी उपयोग नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, हम बिशन नारायण, जे. की मंशा का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, जब उन्होंने विचाराधीन आदेश पारित किया और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके मन में था कि उस मामले में नीलामी बिक्री को रद्द कर दिया जाएगा, यदि आवेदकों को संपत्ति में कुछ रुचि थी और वे पीड़ित पक्ष थे। यदि उन्हें कोई शिकायत नहीं थी, तो हमारे अनुसार, विद्वान न्यायाधीश का विचार था कि नीलामी बिक्री को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि वह स्वयं संपत्ति पर आवेदकों के कथित अधिकार के संबंध में रिट याचिका में प्रश्न पर निर्णय नहीं ले रहे थे, इसलिए उन्होंने उस मामले को पुनर्वास विभाग पर छोड़ दिया। किसी भी दर पर, हम विवादित प्रेस-नोट्स और ज्ञापन के आधार पर आयोजित नीलामी बिक्री को चुनौती देने के अधिकार को केवल भूमि के पट्टेदारों तक सीमित नहीं कर रहे थे। चूंकि उस मामले में आवेदक पट्टेदार थे, इसलिए यह था कि इस शब्द का उपयोग उस प्राधिकरण में किया गया था। ऊपर उल्लिखित टिप्पणियों से, जिन पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भरोसा किया गया था और हमारे समक्ष प्रतिवादी के वकील द्वारा भी सेवा में लगाया गया था, अधिक से अधिक यह निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि नीलामी बिक्री को कुछ इच्छुक या असंतुष्ट लोगों के कहने पर रद्द कर दिया जाएगा।

दावत। एक रिट याचिका में, याचिकाकर्ता से आम तौर पर पूछा जाता है कि वह आक्षेपित आदेश से कैसे व्यथित है। यदि वह यह दिखाने में असमर्थ है, तो रिट याचिका आमतौर पर केवल उसी आधार पर खारिज कर दी जाती है। यह न्यायालय आमतौर पर केवल मानकों के कहने पर किसी आदेश को रद्द नहीं करता है, जो किसी भी तरह से इससे प्रभावित नहीं होते हैं। याचिकाकर्ता को यह दिखाना चाहिए कि उसके किस कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है जिसके लिए वह निवारण के लिए इस न्यायालय में आता है। यदि कोई व्यक्ति किसी आदेश से पूर्वाग्रहसे ग्रस्त नहीं है, तो यह न्यायालय आमतौर पर उस स्थिति में उसके कहने पर आदेश को रद्द नहीं करता है। यहां तक कि अगर यह सिद्धांत लागू किया जाता है, तो यह देखा जाएगा कि अपीलकर्ता आक्षेपित आदेश से बहुत व्यथित हैं, क्योंकि वे विवाद में संपत्ति में रुचि रखते हैं। वे 17 जनवरी 1969 को आयोजित नीलामी बिक्री में सबसे अधिक बोली लगाने वाले थे, और कई वर्षों तक इस भूमि पर कब्जा कर रहे थे। उन्होंने 24 अगस्त 1959 को आयोजित नीलामी में 27,025 रुपये की बोली की पेशकश की थी, जो प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दी गई बोली से अधिक थी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में पहले की गई नीलामी के कारण अपीलकर्ताओं की बोली को मंजूरी नहीं दी जा रही थी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में नीलामी बिक्री को चुनौती देने का कोई काम नहीं था। इसलिए, उनके कहने पर उक्त बिक्री को अवैध ठहराया जा सकता है।

(आठ) पीठ के फैसले के बाद *बिशन सिंह का मामला,* मैं यह कहूंगा कि

24 अगस्त 1959 को प्रेस-नोट्स और ज्ञापन के आधार पर प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में आयोजित नीलामी बिक्री का कोई कानूनी प्रभाव नहीं था और उन्होंने उस बिक्री के आधार पर संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया था। इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 33 के तहत केंद्र सरकार द्वारा पारित 6 फरवरी, 1970 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि भले ही श्री रजनीकांत के आदेशों के तहत प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा बिक्री विचार की शेष राशि का भुगतान किया गया हो, उनके पक्ष में नीलामी बिक्री को मंजूरी और पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं था। *आह शुरू से* और प्रतिवादी नंबर 2 को संपत्ति में किसी भी अधिकार के साथ नहीं बांधेगा। अपील को केवल इसी आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि दो अन्य मामलों पर भी हमारे समक्ष विस्तार से बहस की गई है, इसलिए मैं उनके बारे में भी अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

(नौ) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का दूसरा तर्क यह था कि केंद्र सरकार का आदेश रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था, क्योंकि अपीलकर्ताओं को आक्षेपित करने से पहले श्री रजनी कांत द्वारा कोई नोटिस या अवसर नहीं दिया गया था।

आदेश। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई बोलियों को मंजूरी नहीं दी गई थी, फिर भी संपत्ति में उनकी रुचि थी और यदि प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में पहले की नीलामी बिक्री की पुष्टि की गई होती तो उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। उन्होंने खरीद मूल्य का 20 प्रतिशत जमा किया था और 'कई वर्षों से संपत्ति के कब्जे में थे और इसे खरीदने के लिए उत्सुक थे। इस संपत्ति को प्राप्त करने के उनके रास्ते में एकमात्र बाधा प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में पहले की नीलामी बिक्री थी। उनका मामला यह था कि दिनांक 24 अगस्त, 1959 की उक्त नीलामी अमान्य थी, क्योंकि यह अवैध प्रेस नोटों और परिपत्र के आधार पर आयोजित की गई थी। उन्होंने श्री एसएन बहल, निपटान आयुक्त के समक्ष एक आवेदन भी किया था, जिसमें प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा उनके समक्ष दायर अपील में एक पक्ष के रूप में शामिल होने के लिए कहा गया था। इस आवेदन को उक्त अधिकारी द्वारा यह देखते हुए खारिज कर दिया गया था कि उस पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि नीलामी मूल्य की शेष राशि के भुगतान के लिए प्रतिवादी नंबर 2 के अनुरोध को उनके द्वारा अस्वीकार कर दिया जा रहा था। इन परिस्थितियों में, विद्वान वकील के अनुसार, विवादित आदेश पारित करने से पहले श्री रजनी कांत द्वारा उनका पक्ष सुना जाना चाहिए था।

(दस) मेरे विचार से, विद्वान वकील की यह दलील भी निराधार नहीं है। एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ताओं ने नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले होने के आधार पर भूमि में कोई अधिकार हासिल नहीं किया था, जबकि उस बोली को स्वीकार और पुष्टि नहीं की गई थी। इस संबंध में विद्वान न्यायाधीश ने मेसर्स *बॉम्बे साल्ट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज* बनाम एलजे *माल्या मामले में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा जताया थाजॉनसन और अन्य* (3). विद्वान न्यायाधीश के अनुसार, विवाद केंद्र सरकार और प्रतिवादी नंबर 2 के बीच था। अपीलकर्ताओं को एक आवश्यक पक्ष के रूप में नहीं माना जा सकता था और उन्हें सुनवाई का कोई अधिकार नहीं था।

(ग्यारह) यह सच है कि नीलामी बिक्री में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले होने और बोली राशि का 20 प्रतिशत जमा करने के कारण, अपीलकर्ता संपत्ति के हस्तांतरणकर्ता नहीं बन गए थे; लेकिन, कानून के तहत, यह आवश्यक नहीं था कि वे संपत्ति के मालिक हों, और केवल तभी उनकी बात सुनी जाएगी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत आकर्षित होंगे, भले ही यह दिखाया जा सके कि अपीलकर्ता वास्तव में विवाद में संपत्ति में रुचि रखते थे और यदि प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में नीलामी बिक्री को मंजूरी दी जाती है और इसकी पुष्टि की जाती है, तो नीलामी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(तीन) **ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 289.** > **r**

<) 24

उनके पक्ष में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वे इस संपत्ति को प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

(बारह) माना जाता है कि अपीलकर्ताओं ने इस संपत्ति पर बहुत लंबे समय से कब्जा कर रखा था और निपटान अधिकारी को इसके पक्ष में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया था। उन्होंने नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाई थी और हथौड़ा गिरने पर उस राशि का पांचवां हिस्सा जमा कर दिया था। पूरी संभावना है कि उनकी बोली को मंजूरी दे दी गई होती, अगर प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में पहले नीलामी की बिक्री नहीं हुई होती। यह उनके रास्ते में एकमात्र बाधा लग रहा था। पुनर्वास अधिकारियों के समक्ष विवाद यह था कि क्या पहले की नीलामी बिक्री को रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रतिवादी नंबर 2 अनुमत समय के भीतर खरीद मूल्य की शेष राशि जमा करने में विफल रहा था। उन्हें कई अधीनस्थ अधिकारियों के समक्ष राहत नहीं मिल सकी और उनकी अपील भी खारिज कर दी गई। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, अपीलकर्ताओं ने श्री एसएन बहल, निपटान आयुक्त के समक्ष एक आवेदन भी किया था, जिसमें प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा उनके समक्ष दायर अपील में एक पक्ष के रूप में शामिल होने के लिए कहा गया था। अधिकारी ने सोचा कि उनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, क्योंकि प्रतिवादी नंबर 2 की अपील को उनके द्वारा खारिज कर दिया जा रहा था। जो भी हो, तथ्य यह है कि वे विवाद में संपत्ति को अपने पक्ष में स्थानांतरित करने में बहुत रुचि रखते थे और चाहते थे कि प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में नीलामी की बिक्री को रद्द कर दिया जाए। पूरी निष्पक्षता के साथ उन्हें श्री रजनी कांत द्वारा सुना जाना चाहिए था, अगर वह सभी अधीनस्थ अधिकारियों के आदेशों को दरकिनार करने के बाद खरीद मूल्य की शेष राशि जमा करने के लिए उन्हें और अधिक समय देने के लिए प्रतिवादी नंबर 2 की प्रार्थना को स्वीकार करने के इच्छुक थे। यदि वे श्री रजनी कांत के समक्ष उपस्थित होते, तो वे उनके ध्यान में लाते कि प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में नीलामी बिक्री का कोई कानूनी प्रभाव नहीं था, यह प्रेस-नोट्स और परिपत्र के आधार पर आयोजित किया गया था। मेरे विचार में, आक्षेपित आदेश, इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था।

(तेरह) जहां तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संबंध है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, और प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है, यह कहा जा सकता है कि यह घोषणा कि एक व्यक्ति नीलामी बिक्री में सबसे ऊंची बोली लगाने वाला था, उसे संपत्ति की पूर्ण बिक्री और हस्तांतरण के बराबर नहीं था। बोली को निपटान आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाना था और जब तक ऐसा नहीं किया गया था, नीलामी खरीदार के पास कोई अधिकार नहीं था। यहां तक कि बोली की मंजूरी भी

निपटान आयुक्त ने संपत्ति के हस्तांतरण की राशि नहीं दी, क्योंकि खरीदार को अभी तक खरीद के पैसे की शेष राशि का भुगतान करना था और यदि वह ऐसा करने में विफल रहा, तो उसके पास संपत्ति का कोई दावा नहीं होगा। इस प्राधिकरण में निर्धारित प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है और, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, अपीलकर्ताओं का यह मामला नहीं है कि संपत्ति में कोई अधिकार उन्हें उच्चतम बोली देने और खरीद मूल्य का पांचवां हिस्सा जमा करने के आधार पर दिया गया था। उनका मामला यह था कि यद्यपि वे संपत्ति के हस्तांतरणकर्ता नहीं बने थे, फिर भी ऊपर उल्लिखित कई परिस्थितियों के आधार पर, वे प्रयास करके अपने शीर्षक को सही करने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी बोली को मंजूरी दी जाए, ताकि वे खरीद मूल्य की शेष राशि जमा करने में सक्षम हो सकें। उनके रास्ते में एकमात्र बाधा थी, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में पहले नीलामी बिक्री हुई थी और वे यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि उक्त बिक्री को अलग कर दिया जाए। श्री रजनी कांत ने आक्षेपित आदेश द्वारा, प्रतिवादी नंबर 2 को नीलामी की शेष राशि का भुगतान करने के लिए और समय दिया था ताकि उनके पक्ष में बिक्री को मंजूरी दी जा सके और पुष्टि की जा सके। अपीलकर्ताओं ने इस अनुरोध का विरोध किया होगा और चूंकि वे इस आदेश से व्यथित होंगे, क्योंकि वे विवाद में संपत्ति को अपने पक्ष में स्थानांतरित करने में रुचि रखते थे, इसलिए उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए था और श्री रजनी कांत द्वारा लागू आदेश दिए जाने से पहले सुना जाना चाहिए था।

(चौदह) तीसरा और अंतिम सबमिशन; अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना था कि एक बार श्री रजनी कांत ने अधिनियम की धारा 33 के तहत आदेश पारित किया था और प्रतिवादी नंबर 2 को 6 फरवरी, 1970 को अपने आदेश के पारित होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर बिक्री विचार की शेष राशि का भुगतान करने की अनुमति दी थी, और कहा था कि यदि उन्होंने निर्धारित समय के भीतर उक्त राशि का भुगतान नहीं किया था, उनकी पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी जाएगी, वह मामले से हार गए। यदि प्रतिवादी संख्या 2 ने श्री रजनी कांत के निर्देशानुसार उक्त राशि जमा नहीं की, तो उनकी पुनरीक्षण याचिका स्वचालित रूप से खारिज कर दी गई। इस आदेश के पारित होने के बाद, श्री रजनी कांत राशि के भुगतान के लिए समय नहीं बढ़ा सकते थे, जब तक कि उनके पास अपने आदेश की समीक्षा करने की शक्ति न हो। विद्वान वकील के अनुसार, यह शक्ति उन्हें अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के तहत नहीं दी गई थी। 28 फरवरी 1970 तक समय बढ़ाने की अनुमति देने वाला उनका अगला आदेश, इसलिए, अधिकार क्षेत्र के बिना था, और यदि प्रतिवादी नंबर 2 ने आदेश के आधार पर विस्तारित अवधि के भीतर राशि जमा की, जिसे अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया था, तो उसे संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिल सकता था।

(पंद्रह) यह सामान्य आधार है कि अधिनियम की धारा 33 के तहत कार्यवाही अर्ध-न्यायिक प्रकृति की है, - *दीवान झंगी राम* बनाम दीवान *भारत संघ और अन्य* (4), और *बेली राम मल्होत्रा* बनाम *भारत संघ और अन्य* (5), और उस धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी अपने आदेशों की समीक्षा नहीं कर सकते जब तक कि ऐसा करने की शक्ति उन्हें क़ानून द्वारा ही नहीं दी गई थी। समीक्षा की कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है, और यह शक्ति विशेष रूप से कानून द्वारा दी जानी चाहिए जिसके तहत वे काम कर रहे हैं। (*हरभजन सिंह* बनाम भारत *करम सिंह और अन्य* (6), और *दीप चंद और एक अन्य* वी। *अतिरिक्त निदेशक समेकन ऑफ होल्डिंग्स, पंजाब, जुलुंदूर, और एक अन्य* (7)। अधिनियम की धारा 25 "आदेशों की समीक्षा और संशोधन" से संबंधित है, इसमें लिखा है: –

> "(1) धारा 5 के तहत निपटान अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट कोई व्यक्ति, जिसमें से धारा 22 के अधीन कोई अपील करने की अनुमति नहीं है, आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर, अपने आदेश की समीक्षा के लिए निपटान अधिकारी को ऐसे रूप और रीति में आवेदन कर सकता है जो विहित किया जा सकता है और ऐसे आवेदन पर निपटान अधिकारी का निर्णय, धारा 24 और धारा 33 के प्रावधानों के अधीन होगा, अंतिम बनो।

(दो) इस अधिनियम के तहत किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश में लिपिकीय या अंकगणितीय गलतियां या किसी आकस्मिक पर्ची या चूक से उत्पन्न त्रुटियों को किसी भी समय ऐसे अधिकारी, या प्राधिकारी या ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण के उत्तराधिकारी-इन-अधिकारी द्वारा ठीक किया जा सकता है।

(सोलह) यह देखा जाएगा कि केवल निपटान अधिकारी को समीक्षा की शक्ति दी गई है और वह भी अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आदेश में। इस धारा की उप-धारा (1) के तहत किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रदान नहीं की गई है। उप-धारा (2) के तहत, हालांकि, किसी भी आकस्मिक पर्ची या चूक से उत्पन्न लिपिकीय या अंकगणितीय गलतियों या त्रुटियों को ठीक करने की शक्ति अधिनियम के तहत सभी अधिकारियों और अधिकारियों को दी गई है। इस प्रकार, केंद्र सरकार को समीक्षा की कोई शक्ति नहीं सौंपी गई है और श्री रजनीकांत को अपने पिछले आदेश की समीक्षा करने और बिक्री मूल्य की शेष राशि जमा करने के लिए समय का विस्तार देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

' (4) 1961 पी.एल.आर. 610

(पाँच) ए.आई.आर. 1962 पी.बी. 164.

(छः) ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 641.

(सात) 1964 पी.एल.आर. 318 (एफ.बी.)

(सत्रह) जब इस स्थिति का सामना करना पड़ता है तो प्रतिवादी के लिए सलाह सीखी; नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 148 के प्रावधानों का उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि श्री रजनीकांत उस धारा के तहत समय बढ़ा सकते हैं जो कहता है:

"जहां इस संहिता द्वारा निर्धारित या अनुमत किसी कार्य को करने के लिए न्यायालय द्वारा कोई अवधि निर्धारित या प्रदान की जाती है, न्यायालय समय-समय पर अपने विवेकाधिकार से, ऐसी अवधि को बढ़ा सकता है, भले ही मूल रूप से निर्धारित या दी गई अवधि समाप्त हो गई हो।

(अठ्ठारह) इस तर्क को स्वीकार करने में कठिनाई यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148 के तहत शक्ति न्यायालय को दी गई है और विद्वान वकील यह नहीं बता सके कि अधिनियम के तहत कार्य करने वाला अधिकारी इस प्रावधान का लाभ कैसे उठा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के पूरे को अधिनियम पर लागू नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 26, जो इस मामले से संबंधित है, में लिखा है:

(1) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने या किसी अपील की सुनवाई करने के प्रयोजन से, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम V) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:-

(अ) किसी भी व्यक्ति को तलब करना और उसकी उपस्थिति को लागू करना और शपथ पर उसकी जांच करना।

(आ) किसी भी दस्तावेज़ की खोज और उत्पादन की आवश्यकता होती है।

(इ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना (घ) गवाहों से पूछताछ के लिए आयोग जारी करना।

(उ) ऐसे व्यक्तियों के अभिभावक या अगले मित्र की नियुक्ति करना, जो नाबालिग हैं या अस्वस्थ मन के हैं।

(ऊ) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है; और ऐसे किसी अधिकारी के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम XLV) की धारा 193 और 228 के अर्थ के भीतर एक न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी और ऐसे प्रत्येक अधिकारी को दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 480 और 481 के अर्थ के भीतर एक सिविल अदालत माना जाएगा। 1898 (1898 का अधिनियम V)।

(I-A) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत जांच करने के प्रयोजन रा्थ और सामान्यत या

इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर लगाए गए किसी भी कर्तव्य का संतोषजनक ढंग से निर्वहन करने में उसे सक्षम बनाने के उद्देश्य से, किसी भी व्यक्ति को ऐसे खाते, किताबें या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने या इस अधिनियम के तहत अर्जित किसी भी विस्थापित संपत्ति से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जो वह यथोचित रूप से आवश्यक समझे।

(2) मुख्य बंदोबस्त आयुक्त या इस अधिनियम के अधीन अपील की सुनवाई करने वाले किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी और शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो किसी अपील की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम V) के अधीन न्यायालय में निहित हैं।

(उन्नीस) इस धारा को पढ़ने से पता चलता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148 को अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं किया गया है।

(बीस) विद्वान वकील ने तब नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का उल्लेख किया, जो कहता है:

"इस संहिता में कुछ भी ऐसे आदेश देने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा जो न्याय के अंत के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो सकता है।

(इक्कीस) यह देखा जाएगा कि यह धारा न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति से भी संबंधित है/पहली बात तो यह है कि विद्वान वकील द्वारा यह नहीं बताया गया है कि धारा 151 के प्रावधानों को अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू किया गया है। दूसरी बात, अधिनियम के तहत कार्य करने वाले अधिकारी न्यायालय नहीं हैं और वे कानून के प्रावधानों से अपना अधिकार प्राप्त करते हैं जिसके तहत वे कार्य कर रहे हैं, और हमारे समक्ष किसी भी प्राधिकारी का हवाला नहीं दिया गया है कि इन अधिकारियों के पास भी किसी अधिकारी की तरह अंतर्निहित शक्तियां होंगी। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय। तीसरा, धारा 151 अपने आप में किसी को कोई शक्ति नहीं देती है। इस धारा के तहत उल्लिखित शक्ति स्वयं एक न्यायालय में निहित है और इस धारा में जो कुछ भी कहा गया है वह यह है कि संहिता में कुछ भी ऐसे आदेश पारित करने की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने के लिए नहीं माना जाएगा जो वह न्याय के हित में या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक समझे। इस प्रस्ताव के समर्थन में हमारे समक्ष किसी न्यायालय के एक भी प्राधिकारी का हवाला नहीं दिया गया है कि इस प्रकार की शक्ति किसी अधिकरण या किसी विशेष संविधि के उपबंधों के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी में निहित है। कोई जो भी शक्ति प्रयोग करना चाहता है, वह उसे कानून द्वारा ही दी जानी चाहिए।

(बाईस) वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए महंत राम दास बनाम *महंत राम दास* को दोषी ठहराया। *गंगा दास* (8), इस प्रस्ताव के समर्थन में कि श्री रजनी कांत खरीद मूल्य जमा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत कार्य कर सकते हैं। इस निर्णय में, तथ्य यह थे कि 30 मार्च 1954 को उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें वादी को ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय के लिए अदालत-शुल्क का भुगतान करने के लिए तीन महीने की अवधि दी गई थी। समय की गणना उस तारीख से की जानी थी जब अपीलकर्ता के वकील को उच्च न्यायालय कार्यालय द्वारा घाटे की अदालत-शुल्क की राशि के बारे में सूचित किया गया था, जो उनके मुवक्किल द्वारा देय थी। उच्च न्यायालय के कार्यालय ने 8 अप्रैल, 1954 को वकील को यह सूचना दी। नतीजतन, घाटे की अदालत-शुल्क जमा करने का समय 8 जुलाई, 1954 को समाप्त हो गया था। अपीलकर्ता उस तारीख तक उस उद्देश्य के लिए धन खोजने में सक्षम नहीं था। उनके वकील ने तब उच्च न्यायालय के उप रजिस्ट्रार से उस मामले को 8 जुलाई 1954 को अवकाशकालीन न्यायाधीश के समक्ष रखने के लिए कहा, क्योंकि उस समय उच्च न्यायालय बंद था, ताकि समय के विस्तार के लिए अनुरोध किया जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि यह विस्तार एक खंडपीठ द्वारा दिया जाना था और चूंकि उस दिन ऐसी कोई पीठ नहीं बैठी थी, इसलिए अपीलकर्ता ने उसी तारीख 8 जुलाई 1954 को एक आवेदन दायर किया, जिसमें अनुरोध किया गया कि उसे राशि का एक हिस्सा तुरंत और उसके बाद एक महीने के भीतर शेष राशि का भुगतान करने की अनुमति दी जाए। इस आवेदन को 13 जुलाई 1954 को रामास्वामी और अहमद जेजे की खंडपीठ के समक्ष रखा गया था, और उन्होंने इसे यह देखते हुए खारिज कर दिया कि 30 मार्च 1954 के बेंच के आदेश के आधार पर, अपील पहले ही खारिज कर दी गई थी, क्योंकि दिए गए समय के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया गया था। अपीलकर्ता ने तब सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत एक और आवेदन दिया, और इसे 2 सितंबर 1954 को इमाम सीजे और नारायण जे द्वारा खारिज कर दिया गया, क्योंकि विद्वान न्यायाधीशों का विचार था कि अपीलकर्ता के लिए उचित उपाय समीक्षा के लिए एक आवेदन देना था। अपीलकर्ता ने तब धारा 151 के साथ आदेश 47, नियम 1, नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक और याचिका दायर की, जिसमें कारण बताया गया कि उसे सीमा के भीतर आवश्यक धन क्यों नहीं मिला। उन्होंने घाटे के पैसे का भुगतान ऐसे समय के भीतर करने की पेशकश की जो उच्च न्यायालय तय कर सकता है। यह आवेदन रामास्वामी और सिन्हा जेजे के समक्ष 27 सितंबर 1955 को सुनवाई के लिए आया था। उन्होंने कहा कि आवेदन संहिता के आदेश 47, नियम 1 के दायरे में नहीं आता है। अपीलकर्ता के वकील की यह दलील कि संहिता की धारा 148 या धारा 149 के तहत समय बढ़ाया जा सकता था, को भी विद्वान न्यायाधीशों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, और उन्होंने कहा कि

(8) A.LR। 1961 एस.सी. 881

ये धाराएं केवल उन मामलों पर लागू होती हैं जिन्हें अंतिम रूप से निपटाया नहीं गया था और उनके तहत समय केवल अंतिम आदेश दिए जाने से पहले ही बढ़ाया जा सकता था। न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के तहत समय बढ़ाने के अनुरोध को भी इसी कारण से खारिज कर दिया गया था। इस आवेदन को भी तब खारिज कर दिया गया था। इसके बाद इस मामले को सर्टिफिकेट पर सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। उसी से निपटने के दौरान, उक्त न्यायालय ने कहा:

पीठ ने कहा, "उच्च न्यायालय द्वारा घाटे की अदालत शुल्क के भुगतान के लिए तय समय समाप्त होने से पहले ही समय सीमा बढ़ाने का आवेदन किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपील पर सुनवाई कर रही खंडपीठ द्वारा पूर्व में पारित किए गए आदेश के मद्देनजर उस आवेदन पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है, मुख्यतः क्योंकि समय विस्तार के लिए याचिका की सुनवाई की तारीख को यह अवधि समाप्त हो गई थी। संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय, मामले की परिस्थितियों में, समय बढ़ाने के लिए शक्तिहीन था, भले ही उसने भुगतान के लिए अवधि निर्धारित की थी। यदि न्यायालय ने आवेदन पर विचार किया होता और गुण-दोष के आधार पर इसे खारिज कर दिया होता, तो अन्य विचार उत्पन्न हो सकते थे; लेकिन उच्च न्यायालय ने उद्धृत आदेश में मूल आदेश के पत्र का पालन किया जिसमें भुगतान के लिए समय निर्धारित किया गया था। संहिता की धारा 148, शर्तों में, समय के विस्तार की अनुमति देती है, भले ही निर्धारित मूल अवधि समाप्त हो गई हो और धारा 149 समान रूप से उदार हो। आवेदक द्वारा उन धाराओं को लागू किया जा सकता है, जब समय वास्तव में समाप्त नहीं हुआ था। यह आवेदन अवकाश के समय दायर किया गया था जब एक खंडपीठ नहीं बैठी थी, इस पर विचार 13 जुलाई, 1954 को भी किया जाना चाहिए था, जब इस पर सुनवाई हुई थी। आदेश, हालांकि मूल फैसले द्वारा निर्धारित समय की समाप्ति के बाद पारित किया गया था, 8 जुलाई, 1954 से लागू होता। भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए समय निर्धारित करना कितना अवांछनीय है, जो अदालत को बीच में उत्पन्न होने वाली घटनाओं से निपटने के लिए शक्तिहीन बनाता है, इस अपील में निर्णय लेना आवश्यक नहीं है। ये आदेश अक्सर अनुचित साबित होते हैं। इस तरह के प्रक्रियात्मक आदेश हालांकि अनिवार्य रूप से (सशर्त फरमान के अलावा) संक्षेप में आतंक में हैं, ताकि टाल-मटोल करने वाले वादी खुद को व्यवस्थित कर सकें और देरी से बच सकें। हालांकि, वे अदालत को उन घटनाओं और परिस्थितियों पर ध्यान देने से पूरी तरह से नहीं रोकते हैं जो निर्धारित समय के भीतर होती हैं। उदाहरण के लिए, यह नहीं कहा जा सकता कि, यदि अपीलकर्ता

भुगतान किए जाने के आदेश के साथ शुरू किया गया था और समय पर आया था, लेकिन एक दिन पहले चोरों द्वारा आग लगा दी गई और लूट लिया गया, वह समय के विस्तार की मांग नहीं कर सकता था, या यह कि अदालत इसे बढ़ाने के लिए शक्तिहीन थी। इस तरह के आदेश मेड्स और फारसियों के कानून की तरह नहीं हैं। ऐसे मामले ज्ञात हैं जिनमें न्यायालयों ने इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए अपनी प्रथा को ढाला है और एक मुकदमा या कार्यवाही को बहाल किया है, भले ही एक अंतिम आदेश पारित किया गया हो। हमें केवल एक ऐसे मामले का हवाला देने की आवश्यकता है, और वह *लछमी नारायण मारवाड़ी बनाम लछमी नारायण मारवाड़ी* है। *बालमुकंद। मारवाड़ी* (9)। इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि लॉर्ड फिलिमोर द्वारा देखा गया है, हम प्रिवी काउंसिल की तुलना में शीघ्र आज्ञाकारिता और देरी से बचने के लिए अदालतों के रास्ते में बाधा नहीं डालना चाहते हैं। लेकिन हमारी राय है कि इस मामले में न्यायालय पहली बार 13 जुलाई, 1954 को अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता था, जब समय के भीतर दायर याचिका उसके समक्ष थी, और फिर अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जब नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत दो याचिकाएं दायर की गई थीं। यदि उच्च न्यायालय ने इनमें से किसी भी अवसर पर कार्रवाई करने के लिए तैयार महसूस किया होता, तो धारा 148 और 149 ने उन्हें एक वादी के साथ न्याय करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान की होती, जिसके लिए उसने काफी सहानुभूति व्यक्त की थी, लेकिन जिसकी सहायता के लिए वह गलती से आने में असमर्थ महसूस करता था।

हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने दोनों अवसरों पर गलती की थी। यदि पर्याप्त कारण बताया गया होता तो समय 13 जुलाई, 1954 को बढ़ाया जाना चाहिए था और फिर से, जब अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग के लिए याचिकाएं दायर की गई थीं।

(तेईस) यह सुप्रीम कोर्ट की अंतिम टिप्पणी थी ऊपर उद्धृत गद्यांश में, कि प्रतिवादी के विद्वान वकील ने भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि धारा 148 और 149 के अलावा, संहिता की धारा 151 के प्रावधानों के तहत समय बढ़ाया जा सकता था। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, कि धारा 151 न्यायालयों पर लागू होती है, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त उच्चतम न्यायालय के निर्णय में, विद्वान न्यायाधीशों द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह संहिता की धारा 148 और 149 थी, जो उच्च न्यायालय को समय बढ़ाने और अपीलकर्ता के साथ न्याय करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करती, इसका मतलब यह है कि यह धारा 151 के प्रावधान नहीं थे, जो उच्च न्यायालय को उक्त शक्ति देते।

(9) आई.एल.आर. 4, पटना 61-ए.आई.आर. 1924, पी.सी.

यदि ऐसा इरादा होता, तो विद्वान न्यायाधीश यह देखने के बाद आगे नहीं बढ़ते-

> "लेकिन हमारी राय है कि इस मामले में न्यायालय पहली बार 13 जुलाई, 1954 को अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता था, जब समय के भीतर दायर याचिका उसके समक्ष थी, और फिर से अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत दो याचिकाएं दायर की गईं।

इसके तुरंत बाद आने वाला अगला वाक्य, अर्थात् -

> "यदि उच्च न्यायालय ने इनमें से किसी भी अवसर पर कार्रवाई करने के लिए तैयार महसूस किया होता, तो धारा 148 और 149 ने उन्हें एक वादी के साथ न्याय करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान की होती, जिसके लिए उसने काफी सहानुभूति व्यक्त की थी, लेकिन जिसकी सहायता के लिए वह गलती से आने में असमर्थ महसूस करता था"- स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, धारा 148 और 149 के तहत समय बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति दी गई थी और नहीं। संहिता की धारा 151

(चौबीस) उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के संबंध में मैंने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसे कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा *श्रीमती लक्ष्मी बलाल चाणक बनाम कलकत्ता मामले में दिए गए निर्णय में समर्थन मिलता* है। *ब्रजेंद्र नाथ दर्द और अन्य* (10), जहां यह देखा गया था:

> पीठ ने कहा, "उस मामले में *(महंत राम दास के मामले में)* समय बढ़ाने का **आवेदन** पटना उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय से पहले किया गया था। हालांकि, उक्त आवेदन अवधि समाप्त होने के बाद सुनवाई के लिए आया। हिदायतुल्लाह जे (जैसा कि वह तब थे) ने कहा कि, संहिता की धारा 148, शर्तों में, समय के विस्तार की अनुमति देती है, भले ही निर्धारित मूल अवधि समाप्त हो गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि अदालत के पास देरी को माफ करने और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148 के तहत निर्धारित समय का विस्तार करने की शक्ति है, भले ही अदालत द्वारा निर्धारित मूल समय समाप्त हो गया हो।

(पच्चीस) उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं यह कहूंगा कि श्री रजनीकांत के पास प्रतिवादी संख्या 2 को 28 फरवरी 1970 तक नीलामी मूल्य की शेष राशि जमा करने के लिए और समय देने की अनुमति देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(10) ए.आई.आर. 1971 कैल. 243.

बलवंत सिंह वाई। **गुरदयाल सिंह आदि। (हरबंस सिंह, सी.जे.)**

(छब्बीस) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अपील सफल होती है, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया जाता है, श्री रजनी कांत द्वारा दिए गए आदेश, जिसमें प्रतिवादी नंबर 2 को खरीद मूल्य की शेष राशि जमा करने के लिए समय का विस्तार दिया गया था, को रद्द कर दिया जाता है और प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में 24 अगस्त 1959 को नीलामी बिक्री को रद्द कर दिया जाता है। पुनर्वास विभाग अब कानून के अनुसार 17 जनवरी 1969 को अपीलकर्ताओं के पक्ष में आयोजित नीलामी बिक्री के संबंध में आगे की कार्यवाही कर सकता है। इस मामले की परिस्थितियों में, मैं लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दूंगा।

श्री गोपाल सिंह, न्यायमूर्ति - मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा |

अमृतबीर कौर
प्रक्षिशु न्यायिक अधिकारी
अससंध, कर्नल
हरियाणा